—: राजस्थान सरकार:—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

मु0नं0—43 / 2023 (जीसीएमएस नं0 2023 / 58)

उनवान —सरकार बनाम

1. बनबारी पुत्र श्री बेदरिया , उम्र 35 वर्ष , जाति कुशवाह ,विक्रेता मैसर्सः बनबारी मिष्ठान भण्डार , बस स्टेण्ड के सामने ,जीटी रोड , धौलपुर, निवासी कुशवाह बस्ती भोडिया का पुरा , टांडा तहसील मनियाँ

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 52 एफ0एस0एस0 एक्ट 2006 नियम 2011

निर्णय दिनांक —28.06.2024

उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत न्यायनिर्णयन आवेदन श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अभियुक्त बनबारी पुत्र श्री बेदरिया , उम्र 35 वर्ष , जाति कुशवाह ,विक्रेता मैसर्सः बनबारी मिष्ठान भण्डार , बस स्टेण्ड के सामने ,जीटी रोड , धौलपुर, निवासी कुशवाह बस्ती भोडिया का पुरा , टांडा तहसील मनियाँ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा धारा 2(ii) / 51, 58 एफ0एस0एस0एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत पेश किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 20.03.2024 को अभियुक्त / अप्रार्थीगण के दुकान मैसर्सः— बनबारी मिष्ठान भण्डार , बस स्टेण्ड के सामने ,जीटी रोड , धौलपुर निरीक्षण के दौरान दुकान में लगभग 20 किलोग्राम बेसन के लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) आम जनता के विक्रय करने हेतु रखा था। उक्त में मिलावट का शक होने पर उक्त लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) में से 2 किलो लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) को वास्ते नमूना जॉच अभियुक्त से खरीदा गया। उक्त लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) नमूना डी—2828 वास्ते जांच हेतु खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर को भेजा गया। खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर की जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस / 759 / एक्ट / 2023 / 804 दिनांक 05.07. 2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) प्रकृति का होना पाया गया जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । विक्रेता के पास खाद्य रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया जो कि धारा 58 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है । न्यायनिर्णयन आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्त / अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलव किया गया। अप्रार्थीगण स्वंय उपस्थित हुआ। अप्रार्थीगण को आरोप नोटिस पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें अप्रार्थीगण ने अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुर्नावृति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की प्रार्थना की। साथ ही खाद्य रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति प्रस्तुत की गई ।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थी द्वारा अपना जुर्म एवं जुर्माना स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी ने उक्त लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी लड्डू (बेसन ,चीनी, रिफाईण्ड सोयावीन ऑयल, से निर्मित) सबस्टेण्डर्ड (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। चूंकि अप्रार्थी पर खाद्य रजिस्ट्रेशन है इसलिये धारा 58 में जुर्माना योग्य अपराध नहीं है ।

अतः श्री बनबारी पुत्र श्री बेदरिया , उम्र 35 वर्ष , जाति कुशवाह ,विक्रेता मैसर्सः बनबारी मिष्ठान भण्डार , बस स्टेण्ड के सामने ,जीटी रोड , धौलपुर, निवासी कुशवाह बस्ती भोडिया का पुरा , टांडा तहसील मनिया पर प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य संरक्षा के मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत 21,000 / —रुपये (इक्कीस हजार रूपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्मानें की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रह्मलाल जाट)
न्याय निर्णायक अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवंअतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
धौलपुर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner